



मृत्यु के बाद उनके पुत्र गण हुए जिसमें एक पुत्र मेरे ससुर
 राजकुमार महाराज भी हुए. मेरे ससुर एवं सभी भाइयों के बीच
 आपसी मैत्री बंधन हो चुका है. मेरे ससुर की मृत्यु के बाद
 उनकी पत्नी एवं अपना सम्पत्ति का स्वामी होने उतराधिकारी मेरे पति एवं
 देवर सहित पद महाराज हुए. मेरे पति की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी
 एवं अपना सम्पत्ति का उतराधिकारी मैं हूँ मेरे एवं देवर के बीच
 कुछ सम्पत्ति का मैत्री बंधन हो चुका है जो उक्त सम्पत्ति में
 हिस्से में मिली है. जिस पर मेरा स्वयं-सामान शक्ति रखने
 का अधिकार है. तथा उक्त सम्पत्ति हर तरह से पास व लाय है. उक्त
 सम्पत्ति पर भाग लड़क का जो मुझ तक साबित होगा तो उसकी
 सारी जिम्मेदारी मेरी है जबकि मेरे उतराधिकारी की होगी।

उत्तराधिकारी
 25/12/10

मह कि इस सम्पत्ति मुझे अपने पद रखने की
 शक्ति का अधिकार अपने पुत्र को जरूरी काम करने के लिये है जो
 उक्त सम्पत्ति किसी भी लड़के का स्वयं सम्पत्ति है होगा
 संसम्भन शक्ति हुआ तब उक्त सम्पत्ति किसी को का घोषणा की
 तो घोषणा की स्वर मा का केवल लाले तब दोनों पक्षों के बीच
 उक्त सम्पत्ति का सौदा मात्र 2,29,000/- रुपये में तब हुआ।

मह कि मैं अपने दोस्रो-हवास में अपना लाभ-
 हानी को देखते रहते से सौदा-सम्पत्ति का व किसी के दबाव या
 बहकाव में न पड़कर व जासमान की कुल राशि 2,29,000/- रुपये मात्र
 कायदा पात्र स्वयं सम्पत्ति के

25/12/10
 उत्तराधिकारी
 25/12/10